Comml AJ-741

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकड़वाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र. / अ.वि.वि.नि.लि. / अति.मु.अ. (मुख्यालय.) / अ.अ.–II / 2017–18 / प्रे 39 दि: 4-4-18

आदेश

विषयः– स्वैच्छिक भार वृद्धि एव श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना।

आदेश क्रमांक 3879 दिनांक 13.03.2018 (वाणिज्य आदेश –729) द्वारा **"स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना"** लागू करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, जिसके अनुसार ऐसे उपभोक्ता जिनके विरूद्ध स्वीकृत भार से अधिक भार उपयोग करने अथवा घरेलू श्रेणी से अघरेलू श्रेणी में उपभोग करने के सतर्कता जांच प्रतिवेदन लम्बित है। ऐसे लम्बित सतर्कता जांच के प्रकरणों में भी 30.06.2018 तक कोई जुर्माना राशि नही ली जाकर स्वैच्छिक भार वृद्धि / श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना के अनुरूप सामान्य दरों पर ही निस्तारण किये जाने का प्रावधान है।

उक्त आदेश के क्रम में निम्न स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैः–

1. ऐसे मामले जिनमें उपभोक्ता ने सम्बन्धित अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष वाद प्रस्तुत कर रखा है एवं विवादित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करवा रखी है, ऐसे अधिक भार वाले प्रकरणों में स्वीकृत भार से अधिक भार का स्थायी शुल्क लेकर एवं घरेलू से अघरेलू श्रेणी परिवर्तन के प्रकरणों में अघरेलू श्रेणी की सामान्य दर से राशि का पुनर्निर्धारण कर निस्तारित कर दिये जायेंगें। यदि उपभोक्ता की निर्धारण के पेटे राशि, पुर्ननिर्धारण के अनुसार अधिक राशि जमा है तो शेष राशि आगामी बिलों में समायोजित कर दी जावेगी।
2. ऐसे मामले जिनमें उपभोक्ता ने न्यायालय में परिवाद दायर कर रखा है एवं यदि उपभोक्ता अपना परिवाद न्यायालय से वापिस ले लेता है तो ऐसे मामलों का भी उपरोक्त प्रावधानों के तहत् निस्तारण किया जा सकेगा।
3. ऐसे मामले जिनमें स्वीकृत भार से अधिक भार उपयोग करने अथवा घरेलू श्रेणी से अघरेलू श्रेणी में उपभोग करने से सम्बन्धित सतर्कता जांच प्रतिवेदन (वीसीआर) का निस्तारण हो चुका है ऐसे मामलों में पुर्नविचार नही किया जायेगा।

सभी सम्बन्धित अधिकारी उपर्युक्त निर्देशों की पालाना सुनिश्चित करेंगें।

आज्ञा से

4-4-18

अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर